लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक : BRLPS/LSBA/PROJ/56/18/79 **दिनांक :** 4/6/2020

प्रेषक,

बालामुरूगन डी०, भा०प्र०से०,
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय: **व्यक्तिगत शौचालय आच्छादन से छूटे हुए निर्धनतम महादलित/दलित परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग: **प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 460585 दिनांक 18.03.2020.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के कंडिका 3 में सर्वेक्षित (बेसलाईन सर्वे (LOB/NOLB सहित) में दर्ज) निर्धनतम/महादलित/दलित परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु अग्रिम उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निदेश दिया गया है। इस दिशा में चिन्हित निर्धनतम महादलित/दलित परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराने अग्रिम दिए जाने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की विवरणी निम्नवत् है:-

1. वैसे परिवार/व्यक्ति जिनके द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण नहीं किया गया है, से संबंधित विवरणी एक्सेल शीट (Excel Sheet) में राज्य कार्यालय द्वारा सभी संबंधित जिला जल एवं स्वचछता समिति कार्यालय को उपलबध करायी जायेगी।
2. जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा वैसे निर्धनतम/महादलित/दलित परिवारों को जिन्हें व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराया जाना है, वैसे लाभुकों की विवरणी संलग्न एक्सेल शीट (Excel Sheet) में राज्य कार्यालय की MIS टीम को साझा की जायेगी।
3. जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा साझा की गयी लाभुकों से संबंधित एक्सेल शीट को राज्य कार्यालय द्वारा अग्रिम भुगतान हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के पोर्टल पर Synchronize किया जायेगा।
4. राज्य कार्यालय द्वारा Synchronized डाटा के आधार पर प्रखंड स्तर (BLKADM (BDO login) पर आधार अपडेशन का कार्य किया जायेगा।
5. आधार अपडेश्न होने के उपरांत चिन्हित निर्धनतम परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु राशि 8000/- (आठ हजार रूपये) मात्र अग्रिम के रूप में DBT के माध्यम से उपलब्ध होगी।
6. अग्रिम राशि उपलब्ध होने के पश्चात् संबंधित लाभुक द्वारा व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण पूर्ण कराया जायेगा।

7. चिन्हित एवं अग्रिम प्राप्त लाभुक द्वारा निर्माण कराये गये व्यक्तिगत शौचालय (IHHL) का जिओ-टैगिंग नियमानुसार किया जायेगा। तत्पश्चात् शेष राशि 4000/- (चार हजार रूपये) मात्र का भुगतान एवं अग्रिम राशि का सामंजन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के आधार पर सभी जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा इस दिशा में अविलंब सकारात्मक प्रयास प्रारंभ किए जायें ताकि शौचालयविहीन निधर्नतम/महादलित/दलित परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण से आच्छादित किया जा सके।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोक्त।

04/06/2020

(बालामुरूगन डी०)

ज्ञापांक : BRLPS/LSBA/Proj/56/18/79 **दिनांक :** 4/6/2020

प्रतिलिपि : सभी जिला समन्वयक एवं जिला सलाहकार, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(बालामुरूगन डी०)

04/06/2020

ज्ञापांक : BRLPS/LSBA/Proj/56/18/79 **दिनांक :** 4/6/2020

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

04/06/2020

(बालामुरूगन डी०)